युवा पीढी ने की सायबर अपराध से बचाव सुरक्षा में भागीदारी

▶ जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में नेशनल साइबरशील्ड हैकाथोन प्रतियोगिता

जबलपुर। जबलपुर इंजीनियरिंग कालेज में भारतीय स्टेट बैंक एवं क्लियरट्रेल टेक्नोलॉजिस की सहभागिता से आयोजित नेशनल साइबरशील्ड हैकाथोन 225 का शुभारंभ उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर अतुल सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय की उपस्थिति में किया गया।

बढते हुये डिजिटल प्लेटफार्म जैसे ऑन लाईन बैंकिंग, सोशल मीडिया (फेस बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर, ईमेल, टैलीग्राम आदि) पर होने वाले सायबर अपराध को रोकने के लिये मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा तकनीकी ज्ञान रखने वाले युवा पीढी को सायबर अपराध से बचाव सुरक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अध्यनरत एवं तकनीकी ज्ञान रखने वाले युवा पीढी को आने वाले अपराधों के सम्बंध में जागरूक करने तथा उनके बचाव में शील्ड की तरह कार्य करने के उद्देश्य से हैकाथोन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हैकाथॉन प्रतियोगिता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से नशे के कारोबार, डिजिटल माध्यम ईमेल पर बम आदि की झूठी धमकी, इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा रिकॉर्ड को ट्रेस करना, डिजिटल माध्यमों पर मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी बैंकिंग एपीके, बैंक के रियल टाइम फ्रॉड ट्रांजेक्शन डिटेक्ट करना तथा सोशल मीडिया पर अन्य साइबर चुनौतियों के नवीन सोल्यूशन्स पर केन्द्रित थी। प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष से 160 टीमों ने भाग लिया था। जिनमें से 10 टीमे चयनित की गयी। शुभारंभ के पश्चात प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक चयनित 10 टीमों द्वारा एआई जनरेटिड एप, सॉफ्ट वेयर एवं अन्य एप्लीकेशन के माध्यम से बचाव एवं रोकथाम हेतु अपना- अपना प्रजेन्टेशन उपस्थित जजों के सामने प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का समापन पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर प्रमोद वर्मा के मुख्यातिथ्य तथा पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय जबलपुर इंजीनियरिंग महझविद्यालय के प्राचार्य डॉ राजीव चांडक,तथा एसबीआई बैंके के डीजीएम हरेराम सिंह, एवं चीफ मैनेजर सतनाम खनूजा तथा क्लीयरटेल टैक्नॉलेजी से डायरेक्टर बिजनिस पियूष श्रीवास्तव , वाईस प्रसिडेंट प्रभू चरण की उपस्थित में सम्पन्न हुआ। अतिथियों द्वारा विजेता टीमों को पुरूस्कृत करते हुये सभी के उज्वल भविष्य की कामना करते हुये शुभकामनाये दी गयी।

इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका

कार्यक्रम को सफल बनाने में ज्यूरी मैम्बर डॉ. सज्जाद, हेमराज चौहान, जुबीन तोलानी, ए.आई.जी. सुश्री प्रांजली शुक्ला , एसबीआई चीफ मैनेजर सतनाम खनूजा तथा इवेंट कोऑर्डिनेटर डॉ आज्ञा मिश्रा, विभागाध्यक्ष आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स जबलपुर इंजीनियरिंग कालेज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष गुप्ता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह, की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दिवरी अमगवा में उल्टी-दस्त का कहर, कई बीमार

मझौली। जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत दिवरी अमगवा के भटिंया टोला में उल्टी-दस्त (डायरिया) का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। बीते कुछ दिनों से गांव में लगातार कई लोग पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। स्थिति गंभीर होती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक कोई ठोस और स्थायी कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक दर्जनों लोग बीमार हो चुके हैं, लेकिन इलाज और जांच की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है और न ही बीमारों को प्राथमिक उपचार मिल पा रहा है। इससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों बढ़ रहे हैं। सूचना मिलते ही मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपक गायकवाड गांव पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं।

इनका कहना है

जल्द ही गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा और आवश्यक दवाएं एवं चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

डॉ. दीपक गायकवाड, मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी

एलटीटी-दानापुर के मध्य स्पेशल

जबलपुर। रेलवे द्वारा आगामी त्योहारों दुर्गा, दिवाली एवं छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा हेतु एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में मध्य रेल से प्रारम्भ टर्मिनेट होने वाली स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 01143/44 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-दानापुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन पश्चिम मध्य रेल से होकर अपने गंतव्य को जाएगी। स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 01143 एलटीटी से दानापुर स्पेशल ट्रेन 25 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक प्रतिदिन लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से सुबह 10:30 बजे प्रस्थान कर इटारसी रात 20:55 बजे, पहुँचकर अगले दिन जबलपुर 03:40 बजे, सतना सुबह 06:45 बजे पहुँचकर मार्ग से होते हुए सायं 18:45 बजे दानापुर स्टेशन पहुँचेगी।

वेयर हाउस में चोरी करने वाला चोर व कबाड़ी गिरफ्तार

जबलपुर। पाटन थाना अंतर्गत चौकी नुनसर अंतर्गत वेयर हाउस का ताला तोड़कर टैक्टर की बैटरी, कृषि उपकरण आदि चुराने वाला आरोपी एवं चुराया हुआ सामान खरीदने वाले कबाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चुराया हुआ सामान कीमती 1 लाख रूपये एवं चोरी का सामान बेचने से प्राप्त रूपयों में से नगद 20 हजार रूपये , घटना में प्रयुक्त आटो जप्त की गई।

आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सूर्यकांत शर्मा एवं एसडीओपी पाटन श्री लोकेश डाबर के निर्देशन में थाना प्रभारी पाटन श्री गोपेंद्र सिंह राजपूत के निर्देशन मे गठित टीम द्वारा वेयर हाउस मे चोरी करने वाले चोर एवं चुराया हुआ सामान खरीदने कबाडी को गिरफ्तार चुराया हुआ सामान कीमती 1 लाख रूपये का एवं चोरी का सामान बेचने से प्राप्त रूपयों में से नगद 20 हजार रूपये तथा घटना में प्रयुक्त आटो जप्त किये गये है।

टीआई गोपेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि 9 सितम्बर को रामदास पटेल 45 वर्ष निवासी ग्राम नुनसर ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका ओम शिव नाम से वेयर हाउस नुनसर में कलारी के आगे पडरिया रोड पर है। अज्ञात चोर वेयर हाउस का ताला तोडकर टैक्टर की बैटरी, कृषि उपकरण आदि चुराकर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जिसके जरिए आटो एमपी 20 आर 5609 की गतिविधियां संदिग्ध लगी। चिन्हित करते हुए ऑटो चालक लकी साहू 22 वर्ष निवासी आईटीआई के पास माढ़ोताल को हिरासत में लिया गया पूछताछ करने पर उसने ओमशिव वेयर हाउस का ताला तोडकर चोरी करना स्वीकार करते हुये चुराई हुई टैक्टरों की बैटरियॉ स्वयं रखना एवं शेष सामान माढ़ोताल तिराहा के पास मुख्तार अहमद कबाड़ी को बेचना बताया।

आरोपी लकी साहू के कब्जे से चुराई हुई ट्रैक्टर की बैटरियां एवं घटना में प्रयुक्त ऑटो एमपी 20 आर 5609 को जप्त करते हुये माढोताल तिराहे के पास स्थित मुख्तार अहमद कबड्डी के यहां दबिश दी जहॉं मुख्तार अहमद 59 वर्ष निवासी गाजीमिया मैदान गोहलपुर से पूछताछ करने पर लकी साहू से सामान खरीदना स्वीकार करते हुये कुछ सामान को तुरंत बेच देना एवं शेष सामान स्वयं के पास होना बताया आरोपी की निशदेही पर चुराया हुआ अन्य समान सर्विस केबल सबमर्सिबल पंप मोटर स्टार्टर ट्रैक्टर के अन्य कई सामान कृषि संबंधी अन्य उपकरण कीमती लगभग 1 लाख रुपए के तथा बेच हुए सामान के 20 हजार रूपये नगद जप्त किए गए। दोनों आरोपियों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घातक हथियार से होटल कर्मचारी पर हमला

जबलपुर। कोतवाली थाना अंतर्गत गोपाल सदन के पास बदमाशों ने घातक हथियार से एक होटल कर्मचारी पर हमला कर दिया और धमकाते हुएफ़रार हो गए। पुलिस ने बताया कि दिनेश प्रधान 26 वर्ष निवासी गोपाल सदन कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह कदम ट्री होटल में काम करता है। बीति रात करीब 12 .20 बजे होटल से छुट्टी के बाद अपने कमरे गोपाल सदन अपने साथी मोहित प्रधान, नीरज पटेल एवं विजय के साथ जा रहा था। कदम ट्री होटल और गोपाल सदन के बीच रोड किनारे तीन चार लड़के खड़े मिले जिन्होंने उसे पास बुलाया , वह उनके पास गया तो सभी हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे और उनमें से एक लड़का अपने हाथ में लोहे का बकानुमा हथियार लिये था, दो तीन लड़को ने उस पकड़ लिये बकानुमा हथियार से हमला कर दाहिने हाथ की गदेली एवं दाहिने हाथ की कोहनी, दाहिने पैर के एड़ी के पास एवं दाहिने पैर की पिण्डली के पास चोट लगी पहुंचा दी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी

▶ प्रक्रिया से असंतुष्ट, चयन नहीं होने वाले कर सकेंगे अपील

नवभारत,जबलपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग की मझौली परियोजनान्तर्गत ऐसे 40 आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है ।

परियोजना अधिकारी गौरीशंकर लौवंशी के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की प्रकाशित सूची परियोजना कार्यालय सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय सिहोरा, जनपद पंचायत कार्यालय मझौली तथा सबंधित ग्राम पंचायतों और आंगनवाड़ी केंद्रों के सूचना पटल पर चस्पा की गई है। परियोजना अधिकारी ने बताया कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के चयन में नियुक्ति प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हुआ है, वे सूची के प्रकाशन के दस दिन के भीतर कलेक्टर न्यायालय में प्रथम अपील कर सकेंगे। प्रथम अपील के निराकरण से भी संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में इसके दस दिन के भीतर द्वितीय अपील संभागायुक्त न्यायालय में कर सकेंगे।

नवनिर्मित शासकीय लीलाधर कन्या शाला का लोकार्पण आज

नवभारत,जबलपुर। चेरीताल वार्ड स्थित नवनिर्मित शासकीय लीलाधर कन्या शाला का लोकार्पण समारोह का आयोजन 12 सितम्बर शुक्रवार को दोपहर 12:00 बजे से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह ''अन्नू'' के मुख्य आतिथ्य, उत्तर मध्य विधान सभा क्षेत्र के विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय की अध्यक्षता एवं निगमाध्यक्ष रिकुंज विज, नेताप्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के विशिष्ट आतिथ्य, एम.आई.सी. सदस्य एवं लोकनिर्माण प्रभारी विवेक राम सोनकर, एम.आई.सी. सदस्य डॉ. सुभाष तिवारी, दामोदर सोनी, रजनी कैलाश साहू, अंशुल राघवेन्द्र याव एवं वार्ड पार्षद प्रतिभा भापकर मौजूद रहेंगे।

फुटपाथ पर जमे वाहन, सड़कों पर अतिक्रमण

जबलपुर, नवभारत। एक ओर जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम सहित सभी जिम्मेदार सड़कों पर बिखरे अतिक्रमण को सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन सबके बावजूद मदन महल से रानीताल चौराहे की ओर जाने वाली सर्विस लेन के फुटपाथ पर हालात अराजक हो चुके हैं। यही नहीं यहां बने लेफ्ट टर्न पर बनी दुकानों का अतिक्रमण सड़क पर दिन रात फैला रहता है, ग्राहकों के वाहन सड़क सहित फुटपाथ पर खड़े रहते हैं, जिससे बार-बार जाम लगता है। लोग परेशान होते रहते हैं। इतना ही नहीं अतिक्रमण के कारण सर्विस लेन की चौड़ाई 4 फीट तक कम हो गई है। कई बार जगह नहीं होने के कारण वाहन चालक दूसरे लेन में घुस जाते हैं, जिससे उनके साथ अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। यही नहीं पीक ऑवर्स मतलब सुबह 9 से 12 और शाम 5 के बाद तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है। अतिक्रमण के कारण वाहन गुत्थम-गुत्था होते हैं और बार-बार जाम की स्थिति बनती है।

वृद्ध ने लगाई फांसी

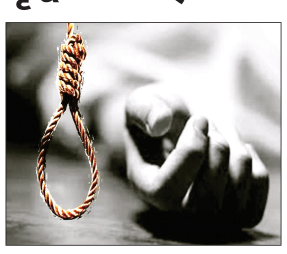

जबलपुर। पाटन थाना अंतर्गत पिपरिया चंद्रभान में रहने वाले एक वृद्ध ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक यह आत्मघाती कदम किन परिस्थितियों में उठाया इसका फिलहाल पता नहीं चल सका। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक राजेन्द्र यादव 25 वर्ष निवासी पिपरिया चंद्रभान पाटन ने सूचना दी कि गुरूवार सुबह उठा तो देखा कि खेत में लगे जामुन के पेड पर चाचा ब्रजेश यादव 50 वर्ष गमछे से फांसी लगाकर लटके थे जिनकी मौत हो चुकी थी।

आयुष मेडिकल अधिकारी को हाईकोर्ट से राहत

▶ ट्रायल कोर्ट की लंबित कार्यवाही पर अंतरित रोक

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट से आयुष मेडिकल अधिकारी को राहत मिली है। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट पर लंबित कार्यवाही पर अपने अंतरिम आदेश से रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। यह मामला सतना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दगडीहा में संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ डॉ. मोहम्मद आमिर निजामी की ओर दायर किया गया है। जिनकी ओर से कहा गया कि अस्पताल में पुताई कार्य के दौरान मार्च 2024 को दीप कुमार सेन सीढ़ी से उतरते समय गिर गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के 30 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्वजनों ने करीब ढाई माह बाद 17 जून को पुलिस थाने में याचिकाकर्ता डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी। आरोप लगाया गया कि पुताई के कार्य के दौरान हेलमेट व अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वह अस्पताल में केवल एक कर्मचारी है, उसका उक्त कार्य से कोई लेना देना नहीं है। उक्त एफआईआर के बाद ट्रायल कोर्ट में मामला शुरू हुआ, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

गाय की सार में बैठा था सात फीट लंबा धामन सांप

जबलपुर। पाटन थानांतर्गत ग्राम गुरु पिपरिया निवासी बारे लाल पटेल के घर में दोपहर तीन बजे जब वे गाय की सार की सफाई कर रहे थे। तभी उनकी नजर गाय बांधने के खूंटे के पास बैठे सांप पर पड़ी उन्होंने तत्काल सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे को सूचना दी जिन्होंने मौके पर पहुंचकर रैस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। दुबे के अनुसार पकड़ा गया सांप धामन प्रजाति का सांप है।जिसकी लंबाई सात फीट की है। उमस से राहत पाने के लिए ही यह खूंटे के पास बैठा था। गनीमत थी कि उस समय गाय घर पर नहीं थीं और उनके आने के पहले सांप पकड़ा गया।

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर
क्रमांक-प्र.का.से./का.से./2025-26/442, दिनांक-10.09.25
— सार्वजनिक सूचना —
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मौजा/ ग्राम करमेता नं.बं. 497 प.ह.नं. 78 ख.नं. 53/2/1 कुल रकबा 1.4936 हेक्टेयर (14936.59 वर्गमीटर) की अनुमति हेतु विकासकर्ता/ कालोनाईजर मेसर्स ओन्टल रियलिटी पार्टनर श्री अनिल नंदवानी पिता स्व. श्री त्रिलोक चंद नंदवानी पता- 914/पी 4, कमलाज पेट्रोल पम्प के पास नेपियरटाउन जबलपुर द्वारा कालोनी विकास अनुमति प्राप्त करने के लिए निष्पादित विकास अनुबंध अनुसार विकास कार्यो के विरूद्ध निगम पक्ष में बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण निम्न है:- भूखंड क्रमांक- बी-57, बी-62, बी-63, बी-89, बी-109, बी-110, बी-129 कुल 07 नग क्षेत्रफल 986.23 वर्गमीटर अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शित संपत्ति/ भूखंडो का क्रय विक्रय कालोनी विकासकर्ता द्वारा नगर निगम से विकास कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व न किया जावे उपरोक्त संबंध में विस्तृत जानकारी एवं विवरण तथा अभिन्यास का अवलोकन कार्यालयीन कार्य दिवस में नगर पालिक निगम जबलपुर कालोनी सेल कक्ष क्रमांक 5 में किया जा सकता है।
प्रभारी कालोनी सेल
नगर पालिक निगम जबलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर
क्रमांक-प्र.का.से./का.से./2025-26/444, दिनांक-10.09.25
— सार्वजनिक सूचना —
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मौजा/ ग्राम करमेता नं.बं. 497/88 प.ह.नं. 23/78 ख.नं. 112/3 कुल रकबा 6260.00 वर्गमीटर में से 6259.98 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय भूखंडीय विकास (सिल्वर होम्स) की अनुमति हेतु विकासकर्ता/ कालोनाईजर मेसर्स ओन्टल रियलिटी पार्टनर श्री अनिल नंदवानी पिता स्व. श्री त्रिलोक चंद नंदवानी पता- 914/पी 4, कमलाज पेट्रोल पम्प के पास नेपियरटाउन जबलपुर द्वारा कालोनी विकास अनुमति प्राप्त करने के लिए निष्पादित विकास अनुबंध अनुसार विकास कार्यो के विरूद्ध निगम पक्ष में बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण निम्न है:- भूखंड क्रमांक- एफ3, एफ4, एफ5, एफ6, एफ7 एवं सुविधा शॉप सी1 कुल 06 नग क्षेत्रफल 535.71 वर्गमीटर अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शित संपत्ति/ भूखंडो का क्रय विक्रय कालोनी विकासकर्ता द्वारा नगर निगम से विकास कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व न किया जावे उपरोक्त संबंध में विस्तृत जानकारी एवं विवरण तथा अभिन्यास का अवलोकन कार्यालयीन कार्य दिवस में नगर पालिक निगम जबलपुर कालोनी सेल कक्ष क्रमांक 5 में किया जा सकता है।
प्रभारी कालोनी सेल
नगर पालिक निगम जबलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर
क्रमांक-प्र.का.से./का.से./2025-26/450, दिनांक-10.09.25
— सार्वजनिक सूचना —
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मौजा/ ग्राम सगड़ा नं.बं. 421/253 प.ह.नं. 28/33 पुराना नया 7 खसरा नं. 76/4 (शामिल खसरा- 76/4-0.126 हेक्टेयर), 77 कुल रकबा 0.405 हेक्टेयर (4050 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय भूखंडीय विकास (आयुषी धरा फेस-4) की अनुमति हेतु विकासकर्ता/ कालोनाईजर मेसर्स आयुषी कंस्ट्रक्शन द्वारा पार्टनर श्री सत्येन्द्र यादव पिता श्री रामजीत सिंह यादव पता-54, मेनरोड त्रिपुरी चौक, जबलपुर कालोनाईजर द्वारा कालोनी विकास अनुमति प्राप्त करने के लिए निष्पादित विकास अनुबंध अनुसार विकास कार्यो के विरूद्ध निगम पक्ष में बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण निम्न है:- भूखंड क्रमांक- 3, 23 कुल 2 नग क्षेत्रफल 183.73 वर्गमीटर एवं सुविधा शॉप क्रमांक 1 क्षेत्रफल 108.67 वर्गमीटर अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शित संपत्ति/ भूखंडो का क्रय विक्रय कालोनी विकासकर्ता द्वारा नगर निगम से विकास कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व न किया जावे उपरोक्त संबंध में विस्तृत जानकारी एवं विवरण तथा अभिन्यास का अवलोकन कार्यालयीन कार्य दिवस में नगर पालिक निगम जबलपुर कालोनी सेल कक्ष क्रमांक 5 में किया जा सकता है।
प्रभारी कालोनी सेल
नगर पालिक निगम जबलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर
क्रमांक-प्र.का.से./का.से./2025-26/448, दिनांक-10.09.25
— सार्वजनिक सूचना —
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मौजा/ ग्राम पुरवा नं.बं. 162 प.ह.नं. 28/33 नया 7 वर्तमान 16 ख.नं. 139, 140, 141, 142, 143/1/2, 143/2, 144, 145/1/2, 145/2/3 (शामिल खसरा- 146/1), 145/3/2, 145/7/2, 149, 78, 79/1, 79/2/2, 83/1/1, 83/2 कुल रकबा 3.1641 हेक्टेयर (31641.00 वर्गमीटर) में से 18769.77 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय भूखंडीय विकास (आयुषी अवध) की अनुमति हेतु विकासकर्ता/ कालोनाईजर मेसर्स आयुषी कंस्ट्रक्शन द्वारा पार्टनर श्री सत्येन्द्र यादव पिता श्री रामजीत सिंह यादव पता-54, मेनरोड त्रिपुरी चौक, जबलपुर कालोनाईजर द्वारा कालोनी विकास अनुमति प्राप्त करने के लिए निष्पादित विकास अनुबंध अनुसार विकास कार्यो के विरूद्ध निगम पक्ष में बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण निम्न है:- भूखंड क्रमांक- 19, 22, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 51 कुल 13 नग क्षेत्रफल 1304.21 वर्गमीटर अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शित संपत्ति/ भूखंडो का क्रय विक्रय कालोनी विकासकर्ता द्वारा नगर निगम से विकास कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व न किया जावे उपरोक्त संबंध में विस्तृत जानकारी एवं विवरण तथा अभिन्यास का अवलोकन कार्यालयीन कार्य दिवस में नगर पालिक निगम जबलपुर कालोनी सेल कक्ष क्रमांक 5 में किया जा सकता है।
प्रभारी कालोनी सेल
नगर पालिक निगम जबलपुर

तीन महीने में निपटाए 1507 पेंशन प्रकरण

नवभारत, जबलपुर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने संभागायुक्त धनंजय सिंह द्वारा दिये गए निर्देशानुसार पिछले तीन माह जून से अगस्त के दौरान संभाग में 1 हजार 507 पेंशन प्रकरणों का निराकरण कर पेंशन प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं। संभागीय पेंशन अधिकारी अजय सिंह ठाकुर के अनुसार पिछले तीन माह के दौरान निराकृत किए गए पेंशन प्रकरणों में सर्वाधिक 373 प्रकरण संभागीय पेंशन कार्यालय जबलपुर द्वारा निराकृत किये गये। उन्होंने बताया कि संभागायुक्त के निर्देशानुसार पेंशन प्रकरणों के निराकरण को गति देने संभाग में पदस्थ सभी पेंशन अधिकारी कार्यालय प्रमुखों एवं आहरण संवितरण अधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क भी कर रहे हैं।

न्यायालय अति. तहसीलदार
महोदय, तहसील अधारताल, जिला जबलपुर
रा.प्र.क्र./ ..../ अ-12/ 2025-26
जबलपुर, दिनांक..............
-: आम इश्तहार :-
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्री नारायण पिता बालाप्रसाद, निवासी अधारताल, जिला जबलपुर निवासी के द्वारा मौजा चांटी, पटवारी हल्का खैरी, तहसील अधारताल, जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 103/2/2/2, रकवा 0.0744 हे. भूमि पर सहखातेदार नारायण पिता बालाप्रसाद का नाम दर्ज है। जिसका का नक्शा बटांक किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा या आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 25/09/25 तक इस न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रस्तुत दावा/ आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
जारी दिनांक-10/09/25
पेशी दिनांक- 25/09/25
अतिरिक्त तहसीलदार
अधारताल, जबलपुर

सूचना
शेर नागरिक साख सहकारी समिति मर्यादित, जबलपुर
वार्षिक साधारण सभा
शेर नागरिक साख सहकारी समिति मर्यादित जबलपुर पंजीयन क्रमांक डी.आर./जे.बी.पी./2166 जबलपुर दिनांक 26/11/2016 के समस्त अंशधारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 29/09/2025 को प्रात: 11 बजे समिति कार्यालय 835 जवाहरगंज, जबलपुर में समिति की वार्षिक साधारण सभा की बैठक आयोजित है। जिसमें म.प्र. सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार किया जायेगा। बैठक में आप की उपस्थिति प्रार्थनीय है।
प्रस्तावों की विस्तृत सूची समिति कार्यालय में आकर देखी जा सकती है।
जावक क्रमांक : शे.ना.सा.स.स./ए.जी.एम./प्रकाशन 66/2025
दिनांक 11/09/2025
सील
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शेर नागरिक साख सहकारी समिति मर्या. जबलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)
-चतुर्थ निविदा सूचना-
N.I.T.No./PWD-16/PRO No. 501 Dated : 11/09/2025
निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1.	T.ID- 2025_UAD_ 450550_1 DATE- 19/09/2025	संजय गांधी वार्ड अंतर्गत 05 स्थानों पर पुलिया एवं नाली निर्माण कार्य। (पार्षद अनुशंसा)	04 माह 10.81 लाख	2000/- 8115/-	03/10/2025

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
संभागीय यंत्री (लोककर्म)/कार्यपालन यंत्री (लोककर्म), नगर निगम जबलपुर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India
आस्ति वसूली शाखा, जबलपुर
क्षेत्रीय कार्यालय, रसल चौक, नेपियर टाउन, जबलपुर-482002
मो:9326079130, ई-मेल: arb.jabalpur@unionbankofindia.bank
अचल संपत्ति के विक्रय हेतु नीलामी सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विषेश रूप से उधार लेने वाले और प्रतिभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता हैं की नीचे वर्णित अचल संपत्तियों जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की संबंधित शाखा के पास प्रभारित है उक्त संपत्तियों को ''जहां है जैसा है'' और ''जो कुंछ भी है'' के आधार पर दिनांक 15.10.2025, दोपहर 12:00 बजे से शाम 05:00 बजे के मध्य प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित संबंधित ऋणियों एवं प्रतिभूति दाताओं से निम्नलिखित बाकाया धन राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि तथा अन्य विस्तृत की जानकारी निम्नानुसार है।

ऋणी/जमानतदार का नाम	संपत्ति का विवरण	बकाया राशि (रू.)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड़ वृद्धि राशि	सम्पर्क व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नं.
1.) एजाज अंसारी पता:- प्लॉट नं 162, मौजा-कठोदा, अमन नगर, कुदवारी एनबी नं. 85 सर्किल महाराजपुर, तहसील-पनागर, जिला-जबलपुर (म.प्र.) 482002 2.) मोहम्मद शहजाद पता:- प्लॉट नं 162, मौजा-कठोदा, अमन नगर, कुदवारी एनबी नं. 85 सर्किल महाराजपुर, तहसील-पनागर, जिला-जबलपुर (म.प्र.) 482002	मौज़ा-कठोदा, खसरा संख्या-408/222, 222 एनबी नंबर 85, पटवारी हल्का नंबर 79/23, क्षेत्रीय कार्यालय सर्किल-महाराजपुर, तहसील-पनागर, जिला-जबलपुर (म.प्र.) में स्थित एजाज अंसारी और मोहम्मद शहजाद के नाम पर भूमि और भवन का पुरा टुकड़ा, क्षेत्रफल-1600 वर्ग फुट। बिक्री विलेख के अनुसार संपत्ति की सीमाएँ: उत्तर-भूखंड संख्या 161 दक्षिण-सड़क पूर्व-खुली भूमि पश्चिम-भूखंड संख्या 163	Rs. 34,76,000/- + ब्याज + विविध व्यय एवं अन्य खर्चे	Rs. 36,50,000/- Rs. 3,65,000/- 36,500/-	श्री शशि प्रकाश 9326079130

विक्रय से संबंधित और शर्तों के ब्यौरे के लिए वेबसाईट https://baanknet.com and https://www.unionbankofindia.co.in/auction-property/view-auction-property.aspx
स्थानः जबलपुर
दिनांकः 11.09.2025
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: श्री शशि प्रकाश 9326079130
प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया